



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
 भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
 प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2209]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2018/ज्येष्ठ 28, 1940

No. 2209]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2018/JYAIKTHA 28, 1940

अन्वयसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

का.आ. 2941(अ).—केंद्र सरकार, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 15 के साथ पठित धारा 3, 4, 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 8 जून, 2019 तक की अवधि के लिए श्री मो. नदीमुल हक, संसद सदस्य (राज्य सभा) को एतद्वारा भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है; और इस प्रयोजनार्थ भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2024(अ) दिनांक 9 जून, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में क्र.सं. (5) और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(5) श्री मो. नदीमुल हक

—सदस्य”

संसद सदस्य (राज्य सभा)

अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति

[फा. सं. 02/06/2017—हज]

जे. आलम, संयुक्त सचिव (हज एवं वक्फ)

टिप्पणी : भारतीय हज समिति में सदस्य को नियुक्त करने के लिए मुख्य अधिसूचना का.आ. 2024(अ), दिनांक 9 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी और बाद में दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 4088(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2018

S.O. 2941(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 4, 5 and 6 read with Section 15 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, hereby appoints Shri Md. Nadimul Haque, Member of Parliament (Rajya Sabha) as a member of the Haj Committee of India for a period up to 8th June, 2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette; and for the purpose, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs number S.O. 2024(E), dated the 9th June, 2016, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, for serial number (5) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(5) Shri Md. Nadimul Haque —Member”

Member of Parliament (Rajya Sabha)

Chairman, West Bengal State Haj Committee

[F. No. 02/06/2017-Haj]

J. ALAM, Jt. Secy. (Haj & Waqf)

Note: The principal notification for appointing members to the Haj Committee of India was published in Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 2024(E), dated 9th June, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4088(E), dated 19th December, 2016.